

I/418888/2023

ई-मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.आवास आयुक्त,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2.उपाध्यक्ष,

लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर एवं बरेली विकास प्राधिकरण।

3.मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,

लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 01 नवम्बर, 2023

विषय:-72वीं नेशनल टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर्स, कान्फ्रेन्स-2024, लखनऊ के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया द्वारा संयुक्त रूप से 72वीं नेशनल टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर्स, कान्फ्रेन्स-2024 का आयोजन दिनांक 05, 06 एवं 07 जनवरी, 2024 को लखनऊ में किया जा रहा है। उक्त कान्फ्रेन्स में पूरे देश से ख्याति प्राप्त नगर नियोजकों एवं नगरीय योजना विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। कान्फ्रेन्स की थीम "Climate Change and Resilient Spatial Planning Approaches" है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में (1) Strategies to Moderate the Urban Heat Island Effects (2) Innovative Zoning & Development Promotions for Resilient Cities (3) Circular Economy for Net Zero Cities (4) Urban Flood Resilience through Spatial Planning in UP आदि पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जायेगा। कान्फ्रेन्स में हुये विचार-विमर्श/निष्कर्षों से प्रदेश में नगरीय नियोजन को ब

2- कान्फ्रेन्स हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया से आवश्यक समन्वय स्थापित करने एवं उक्त कान्फ्रेन्स के सफल आयोजन हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से नोडल अधिकारी नामित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 72वीं नेशनल टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर्स, कान्फ्रेन्स-2024 के आयोजन पर होने वाला व्यय का उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर एवं बरेली विकास प्राधिकरणों द्वारा समानुपातिक रूप से वहन किया जायेगा।

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माँग-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर उक्त मद में

I/418888/2023

वांछित धनराशि का लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश

गोकर्ण (नितिन रमेश गोकर्ण)

Date: 01-11-2023 13:51:38

अपर मुख्य सचिव
Reason: Approved

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री वी.पी. कुलश्रेष्ठ, महा सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया 4-ए, रिंग रोड आई.पी. एस्टेट नई दिल्ली-110002
2. श्री अनूप श्रीवास्तव, ज्येष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, (सम्बद्ध, आवास बन्धु) उ०प्र० लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण

अपर मुख्य सचिव